DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. Off.: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 2283 2468, 2204 2945 Fax : 2204 7288
E-mail : dsilbom@dwarikesh.com • Website : www.dwarikesh.com

Ref: DSIL/2014-15/389 November 24, 2014

To

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex
Bandra [E]
Mumbai - 400 051

Dear Sir,

Further to our letter dated 11th August, 2014 and after announcement of Sugarcane Price by the Uttar Pradesh Government & it's assurances vide Press Release dated 12th November, 2014 (copy enclosed), we have decided to commence crushing operations for the season 2014-15 of all the Sugar units of the Company at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,
for Dwarikesh Sugar Industries Ltd.,

B. L. Maheshwari
Whole Time Director & CS cum CCO

प्रेस विज्ञप्ति

गन्ने के पेराई सत्र 2014–15 के लिये मा0मंत्रि परिषद द्वारा दिनांक 12.11.2014 को निम्नानुसार गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अनुमोदित किया

लखनऊः दिनांक 12 नवम्बर, 2014

(i) पेराई सत्र 2014–15 के लिए गन्ने की विभिन्न प्रजातियों हेतु राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाय–

अगैती प्रजाति	₹ 290/– प्रति कुंतल
सामान्य प्रजाति	₹ 280/– प्रति कुंतल
अनुपयुक्त घोषित प्रजाति	₹ 275/– प्रति कुंतल

(ii) किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान दो किश्तों में किया जाये। पहली किश्त 14 दिन के अन्दर 40 रूपये कम की दर से किया जायेगा, अर्थात क्रमशः ₹ 250, 240, 235 प्रति कुंतल की दर से। अवशेष दूसरी किश्त पेराई की समाप्ति की तिथि से 03 माह के अन्दर किया जायेगा।

(iii) जो चीनी मिल 14 दिन के अन्दर पहली किश्त का भुगतान नहीं करेंगी, उन पर विधिसम्मत ब्याज तत्समय ही बकाया गन्ना मूल्य में जोड़ दिया जायेगा।

(iv) पेराई समाप्ति के 03 माह के अन्दर जो चीनी मिल अवशेष दूसरी किश्त का भुगतान नहीं करेंगी, उन पर शेष 40 रूपये पर भी विधिसम्मत ब्याज बकाया गन्ना मूल्य में जोड़ दिया जायेगा।

(v) अवशेष 40 रूपये में से 20 रूपये की निम्नानुसार प्रतिपूर्ति/छूट के रूप में राज्य सरकार की ओर से चीनी मिलों को अनुमन्य होगी –

सोसायटी कमीशन	₹ 6.60 प्रति कुंतल(प्रतिपूर्ति के रूप में)
गन्ना कय कर	₹ 2.00 प्रति कुंतल (छूट के रूप में)
चीनी पर प्रवेश कर	₹ 2.80 प्रति कुंतल (छूट के रूप में)
अतिरिक्त सहायता	₹ 8.60 प्रति कुंतल (प्रतिपूर्ति के रूप मे)

(vi) अवशेष 40 रूपया के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली रियायतों के अतिरिक्त अवशेष 20 रूपये के भुगतान की देयता निम्नवत निर्धारित की जायेगी–

दिनांक 01.10.2014 से 31.05.2015 (आठ माह) के दौरान चीनी, शीरा, बैगास प्रेस्ड मड के औसत बाजार मूल्य यदि क्रमशः 3100, 390, 167, 26 रूपये प्रति कुंतल रहते हैं तो, इन शेष 20 रूपये का भुगतान चीनी मिलों द्वारा ही किया जायेगा। यदि ये औसत मूल्य उक्त से अधिक रहते हैं तो उपर्युक्त प्रस्तर–(v) में उल्लिखित "अतिरिक्त सहायता" ₹ 8.60 प्रति कुंतल में से कमी

की जाये। इस हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाये, जिसमें विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे, जो दिनांक 01.10.2014 से 31.05.2015 तक प्रचलित चीनी, शीरा, बगास, प्रेस्ड मड के मूल्यों तथा अन्य सुसंगत पहलुओं पर सम्यक परीक्षण करते हुये समुचित कमी की संबंध में संस्तुति करेगी।

इसी प्रकार यदि चीनी, शीरा, बगास, प्रेस्ड मड के उक्त औसत मूल्य कमशः 3100, 390,167, 26 रूपये प्रति कुंतल से कम रहते हैं तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति सभी सुसंगत पहलुओं पर सम्यक विचार/परीक्षण करते हुए तद्नुसार शेष 20 रूपये में से अतिरिक्त शासकीय सहायता की संस्तुति करेगी एवं तदनुसार निर्धारित अनुपात में शेष 20 रूपये का वहन चीनी मिलों एवं राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(vii) सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त सहायता एवं सोसायटी कमीशन की छूट प्रतिपूर्ति के रूप में ही चीनी मिलों को देय होंगी।

(viii) चीनी मिलों के वाह्य कय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती की प्रति कुंतल दर ₹ 8.75 निर्धारित की जाये।

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन